पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित समय–सारिणी जारी

लखनऊ : 25 फरवरी, 2026

समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत (कक्षा 11–12 को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु वंचित सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने के लिए संशोधित समय–सारिणी जारी किया है।

जारी समय–सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन तथा अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को 27 फरवरी, 2026 तक ब्लॉक करना होगा। इसी प्रकार जनपदीय समिति द्वारा 01 मार्च, 2026 तक डाटा लॉक करना होगा। जनपदीय स्तर विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से 11 मार्च, 2026 तक मांग का सृजन किया जाएगा। धनराशि का अंतरण 16 मार्च, 2026 तक छात्र–छात्राओं के आधार सीडेड/एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में किया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र– आशिया खातून

वैशाली माथुर/04:55 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in